संख्या ए-12013/1/2013-ईए
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आर्थिक प्रभाग और पीपीपी प्रकोष्ठ (सेल) के लिए अनुबंध आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति

शहरी विकास मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग को अनुबंध आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है जहां अनुबंध की सामान्य अवधि एक साल की होगी, लेकिन इसे कर्मचारी के कार्यनिष्पादन और मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार पुनः 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(i) आर्थिक प्रभाग के लिए एक परामर्शदाता
(ii) मंत्रालय के पीपीपी प्रकोष्ठ के लिए एक परामर्शदाता (कंसल्टेंट)

2. आवश्यक वांछित योग्यता, पारिश्रमिक, कार्य विवरण और अन्य शर्तों एवं नियमों की जानकारी नीचे दी गई है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन निम्नलिखित पते पर 15 दिनों के अंदर भेज सकते हैं:

आर्थिक सलाहकार कार्यालय
कमरा नं 219 'सी'
निर्माण भवन
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 11
दूरभाषः 011 2306 1397

आवेदन इस ईमेल पते पर भी भेजा जा सकता है- asbhal@nic.in.

3. परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी और वे शहरी विकास मंत्रालय में परामर्श-अवधि के दौरान अन्यत्र कहीं भी कोई अन्य काम नहीं स्वीकार कर सकते। परामर्शदाताओं की नियुक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए अस्थायी (आधिकारिक नहीं) प्रकृति की होगी और मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द भी किया जा सकता है।

अवधि: परामर्शदाता के रूप में व्यक्ति के लिए आरंभिक नियुक्ति एक साल की अवधि के लिए होगी। परामर्शदाता के रूप में व्यक्ति की लगातार नियुक्ति 5 साल के लिए होगी।

पारिश्रमिक: परामर्शदाता को प्रतिमाह 40,000/- रु. से 70,000/- रु. के बीच एक समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा और साथ ही स्थानीय आवागमन के लिए उसे अलग से 3000 रु. देय होगा।

टीए/डीए: - काम पर नियुक्त होने या उसके समापन पर कोई टीए /डीए देय नहीं होगा। परामर्शदाताओं को विदेशी यात्रा , जो कि कुछ विशिष्ट स्थितियों में हो सकेगी , शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत होगी। यद्यपि , परामर्शदाताओं को देश के अंदर आधिकारिक यात्रा के लिए निम्नलिखित दरों के अनुसार टीए/डीए देय होगा:

टीए– द्वितीय श्रेणी रेल भाड़ा अथवा हवाई किराए (इकोनॉमी क्लास) की प्रतिपूर्ति।

डीए– प्रतिदिन 1500/- रु. तक होटल किराया; शहर के अंदर 150 रु. प्रतिदिन यात्रा भत्ता और प्रतिदिन अधिकतम 200/- रु. तक भोजन व्यय का प्रतिपूर्ति।

अवकाश: - परामर्शदाता कैलेंडर वर्ष में यथानुपात 8 दिनों का अवकाश प्राप्त करने के योग्य होंगे। इसलिए, यदि एक वर्ष में परामर्शदाता 8 दिनों से अधिक (यथानुपातिक गणना के आधार पर) अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साथ ही, साल के दौरान अप्रयुक्त अवकाश को अगले कैलेंडर वर्ष के अवकाश में शामिल नहीं किया जाएगा।

भत्ते: परामर्शदाता कोई अन्य भत्ता पाने के योग्य नहीं होंगे।

पुस्तकालय सुविधा : परामर्शदाता अपनी नियुक्ति अवधि के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के पुस्तकालय का उपयोग कर पाएंगे और पुस्तकालय नियमों के अनुसार वे पढ़ने के लिए किताब उधार ले सकते हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

शहरी विकास मंत्रालय
के आर्थिक प्रभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति की शर्तें

(i) उद्देश्यों का समुचित विवरण:-

समसामयिक आर्थिक विषय, समीक्षा और शहरी मामलों से जुड़े विषयों पर सहायता देने के लिए एक परामर्शदाता की आवश्यकता है।

(ii) किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा:-

- आर्थिक विश्लेषण और इस मंत्रालय से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण।
- इस मंत्रालय से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण।
- शहरी मामलों से संबंधित विषयों पर संक्षिप्त विवरण/शोध अध्ययन तैयार करना।
- इस मंत्रालय के सुधार प्रयासों का विश्लेषण और प्रसार।
- आंकड़ों का संग्रह, संकलन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति।
- कार्य समूह की बैठकों, भागीदारों की बैठकों का आयोजन करना।
- नीतिगत मामलों में तकनीकी निवेश (इनपुट) उपलब्ध कराना।
- शहरी डेटाबेस का प्रबंधन।
- अनपेक्षित प्रकृति का कोई भी अन्य कार्य।

(iii) कार्यों के समापन की सारणी:-

चयनित उम्मीदवार को एक साल की शुरुआती अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यह अवधि कर्मचारी के कार्यसंपादन या शहरी विकास मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार पुनः 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। यद्यपि , अनुबंध की अधिकतम अवधि पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

(iv) योग्यता और अनुभव:-

आवश्यक योग्यताएं:

(i) किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय /संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) एसपीएसएस, स्टैटा जैसे सांख्यिकीय अनुप्रयोगों का ज्ञान।

अनुभव:

शोध और विश्लेषण का पांच वर्षों का अनुभव जिसमें शहरी विषयों के क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी।

आतिरिक्त वांछित योग्यताएं:

(i) समकक्ष समीक्षा वाले पत्रिकाओं के प्रकाशन के ट्रैक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) शहरी क्षेत्र के आंकड़ों के संग्रह, संकलन और विश्लेषण का अनुभव।

<u>अनुलग्नक- II</u>

<u>शहरी विकास मंत्रालय</u>
<u>के आर्थिक प्रभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति की शर्तें</u>

(i) <u>उद्देश्यों का समुचित विवरण:-</u>

शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रयासों पर विशिष्ट निवेश उपलब्ध कराने के लिए एक परामर्शदाता की आवश्यकता है।

(ii) <u>किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा:-</u>

- पीपीपी निष्पादन समीक्षा इकाई (पीआरयू) संबंधी कार्य।
- पीपीपी प्रकोष्ठ की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा।
- व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- क्षमता विकास में सहायता उपलब्ध कराना।
- अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता देना।
- मानक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं पर काम करना।
- मंत्रालय के अधीन पीपीपी परियोजनाओं पर डेटाबेस का प्रबंधन।
- पीपीपी परियोजनाओं पर सूचना का विश्लेषण और प्रसार।

(v) <u>कार्यों के समापन की सारणी:-</u>

चयनित उम्मीदवार को एक साल की शुरुआती अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यह अवधि कर्मचारी के कार्यसंपादन या शहरी विकास मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार पुनः 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। यद्यपि , अनुबंध की अधिकतम अवधि पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

(vi) <u>योग्यता और अनुभव:-</u>

आवश्यक योग्यताएं:

(i) बी.ई./बीटेक/एक मान्यता-प्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्थान से परास्नातक की डिग्री।

अनुभव:

कम से कम पांच साल का शहरी या संबंधित क्षेत्र में पीपीपी में अधिमानतः अनुभव।

****